प्रश्न संख्याः 2(2)55

द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि नगर निगम शिमला द्वारा कितने भवनों को अनसेफ घोषित किया गया है और इनमें से कितने भवनों के बिजली व पानी के कुनैक्शन कटवाये गए है? जिन अनसेफ भवनों में आज भी दुकानें/व्यवसाय चल रहा है उन पर क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	इस बारे सूचित किया जाता है कि दिनांक 1.1.2020 से 28.2.2021 तक कुल 27 भवनों को मानव रिहायश (Human Habitation) के लिए नगर निगम की धारा 258(2) व 383 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर असुरक्षित घोषित किया गया है। इनमें से केवल दो भवनों के विद्युत कुनैक्शन काटे गये हैं तथा एक भवन हाउस नं0 13/14 भराड़ी शिमला के कुछ भाग में व्यवसायिक गतिविधि (दुकान) चल रही है तथा भवन को असुरक्षित करने बारे जो नोटिस जारी किये गये थे उनमें से भवन में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा प्राप्त कर लिए गये हैं तथा शेष चसपान कर दिये गये हैं। इस बारे सूचित किया जाता है कि यदि असुरक्षित किये गये भवनों के मालिक जारी किये गये नोटिस में दिये गये निर्देशों को पालना नहीं करते हैं तो नगर निगम अधिनियम 1994 में निहित प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री संजीव ठाकुर, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि कई और मकान भी है जो गिरने वाले है उनके मालिक वहां नहीं रहते हैं और न ही उन भवनों को गिराते हैं जिससे अन्य लोगों को उसका खतरा बना रहता है। शांकली में भी इसी तरह का मामला है। श्रीमती शारदा चौहान, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में भवन को वर्ष 2015 में असुरक्षित घोषित किया गया था परन्तु उसमें भी लोग रहते हैं। इस तरह के मामलों में कार्यवाही होनी चाहिए। श्री सुनील धर, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में भी एक इसी तरह का मामला है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह नगर निगम की ही सम्पत्ति है जिसे 2015 में असुरक्षित घोषित किया गया था लेकिन नगर निगम इसे भी खाली नहीं करवा पा रहा है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि भवनों को असुरक्षित घोषित करने बारे कमेठी बनी हुई है परन्तु कई मामलों में किरायेदारों व मकान मालिकों के आपस के झगड़े होते हैं और कोर्ट से कई मामलों में स्टे लगा होता है। इस तरह के मामलों में कार्यवाही करनी कठिन होती है। मा0 महापौर सभापति ने वास्तुक योजनाकार को निर्देश दिए कि जो मामले मा0 पार्षदों द्वारा उठाए गए हैं इन मामलों को examine कर आगामी कार्यवाही की जाए।

प्रश्न संख्याः 2(1)58
द्वारा : श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि ढ़ली टनल के साथ जो मेजेस्टिक ग्रांड होटल है उसमें बार व डिस्को खोलने की अनुमति के लिए सम्बन्धित वार्ड पार्षद का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है व क्या बार व डिस्को खोलने के लिए पूरे मापदण्ड अपनाये गये है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें ।	नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा द्वारा मैजेस्टिक ग्रांड़ होटल ढली टनल के पक्ष में बार व डिस्को खोलने हेतू कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा लाईसैंस जारी नहीं किया गया है। यद्यपि सम्बन्धित होटल का निरीक्षण करने के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन कर वाछिंत जानकारी एकत्रित कर सूचना मा0 पार्षद को उपलब्ध करवा दी जाएगी ।

श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में मेरे NOC के बिना बार व डिस्को खोलने की अनुमति कैसे दी गई है जबकि वहां पर समीप ही मन्दिर, स्कूल व रिहायशी क्षेत्र है। जिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियमानुसार मन्दिर व स्कूल की दूरी को मध्यनजर नहीं रखा गया है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और यह बार व डिस्को बन्द होना चाहिए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि बार खोलने के लिए नगर निगम शिमला द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। इस सम्बन्ध में Excise Department से भी चर्चा की गई उन्हों ने कहा कि स्थानीय पार्षद के NOC के बिना अनुमति नहीं दी जाती है परन्तु पार्षद द्वारा इस बारे NOC के दिया गया है। मा0 उप-महापौर से इस बारे चर्चा हुई उन्हों ने कहा कि मैंने इस मामले में NOC दिया था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह मेरे वार्ड में नहीं पड़ता है इसे withdraw कर लिया जाएगा ।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि Excise Department द्वारा मैजेस्टिक ग्रांड़ होटल ढली टनल के पक्ष में जो बार व डिस्को खोलने हेतू अनुमति दी गई है उसे रद्द करने व किसी भी वार्ड में बार इत्यादि सम्बन्धित पार्षद की सहमति के बिना न खोलने बारे Excise Department को लिखा जाए।

पार्किंग

प्रश्न संख्याः 2(2)59
द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि लक्कड़ बाजार के पदमदेव कॉम्पलैक्स में दुकान नं0-2 जिसकी शिकायत मैंने स्वयं भी की है जिसे 12 से 15 वर्ग फुट बाहर निगम के नाले पर बढ़ा दिया गया है आज तक क्यों तोड़ा नहीं गया? क्या निगम को उस व्यक्ति से डर लगता है, जो बार-बार उसे दो महीने से नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है जबकि पूर्व में भी इस व्यक्ति को पूर्व आयुक्त द्वारा जाली हस्ताक्षरों के चलते व निगम की दुकान पर जबरन कब्जे के तहत सलाखों के पीछे भेजा था। पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद द्वारा पूछे गये प्रश्न के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि दुकान नं0-2, दौलतराम कॉम्पलैक्स, लक्कड़ बाजार शिमला में किये गये अवैध निर्माण को हटाने बारे नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने की प्रक्रीया जारी है।

श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि किस नियम के तहत कार्यवाही करने में देरी हो रही है। कई स्थानों पर तो रात को भी तोड़ा जा रहा है इसे तोड़ने में देरी क्यों की जा रही है? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि इस मामले में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। जो भी कार्यवाही इस बारे होगा मा0 पार्षद को उस सम्बन्ध में अवगत करवा दिया जाएगा।

प्रश्न संख्याः 2(3)60

द्वारा : श्री राजिन्द्र चौहान, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो CCTV कैमरे लगाने की परियोजना थी वह कब तक लगेंगे उसमें अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें ।	MD-cum-CEO, SSCL vide office order dated 03-03-2021 has accorded A/A & E/S amounting to Rs. 0.50 Crore to the Police Department for installation of CCTVs on the identified locations. Also, the component of installation of CCTVs and integration of the same with the Integrated Command & Control Centre (ICCC) forms part of the ICCC project under Shimla Smart City Mission. This project is being implemented by Department of IT, GoHP. The RFP document for the same with respect to the services likely to be integrated initially is in advanced stage of finalisation by DIT.

श्री राजिन्द्र चौहान, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि इस कार्य को करवाने में गति क्यों नहीं लाई जा रही है? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि स्मार्ट सिटी मे यह mandartory है कि शहर में एक Incident Command Centre बनेगा । यह सैन्टर सचिवालय के साथ जो नया भवन बन रहा है उसमें बनेगा और शहर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ।

प्रश्न संख्याः 2(4)61
द्वारा : श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	In November 2020, I had brought a resolution for easing the process and formalities for getting NOC for water and electricity connections and also to start offline application acceptance for the same. Hon'ble MC House had passed the said proposal with full majority. What action has been taken in the preceding 4 months from the date of passing of proposal?	It is submitted that presently NOCs to install electricity and water connections are being issued on the basis of completion or part completion of building as per HPMC Act,1994 and M.C. Building Bye Laws 1998. Further it is also apprised that as per the Resolution No. 4(4)28 passed by the Hon'ble House NOCs are already being issued on the basis of approved completion plan of building after depositing of requisite charges. As far as on issue of accepting offline application the matter is under consideration.
ख)	When can we expect implementation of the same for benefit of citizens of Shimla?	In this regard, matter shall be taken up with I.T. Department for an early action in the matter.

श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद के प्रश्न काल के दौरान उपस्थित न होने के कारण प्रश्न ड्रोप किया गया ।

प्रश्न संख्याः 2(5)62
द्वारा : श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि समरहिल में भगत सिंह जी की प्रतिमा लगनी कब प्रस्तावित हुई थी, उस सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	समरहिल में सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा माननीय नगर निगम सदन के प्रस्ताव संख्या 4(3)31 दिनांक 19.09.2012 से लगनी प्रस्तावित हई थी। इस सन्दर्भ में अभी तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण अनुपूरक टिप्पणी सहित सूचनार्थ संलग्न है।

श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि जो पत्र उपायुक्त शिमला को भेजा गया था क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि उपायुक्त महोदय को जो पत्र भेजा गया है उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इस पत्र की छायाप्रति व प्रतिमाओं को लगाने बारे जो guidelines है उसकी प्रति मा0 पार्षद को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

प्रश्न संख्याः 2(6)63
द्वारा : श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि नगर निगम शिमला के 34 वार्डों की सीमाऐं सुनिश्चित होने के बावजूद भी एक दूसरे के वार्ड में हस्तक्षेप किया जाता है तथा हस्तक्षेप करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? अगर ऐसा कोई मामला साधारण बैठक में आया है तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है? पर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	माननीय सदस्य को अवगत करवाया जाता है कि वार्डों की सिमाऐं नगर निगम चुनाव हेतू बने नक्शे पर निर्धारण की जाती है। विकासात्मक कार्यों के लिए नगर निगम एक ही इकाई है तथा नगर निगम शिमला अपने सभी नागरिकों को आवश्यकतानुसार सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पक है। जहां तक माननीय पार्षद द्वारा उनके वार्ड में हस्तक्षेप किए जाने का विषय है इस बारे में नगर निगम अभिलेख में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि इस मामले में वस्तुस्थिति को छुपाया जा रहा है इस मामले की उचित छान-बीन की जाए। आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर मा0 पार्षद से बात कर ली जाए।

प्रश्न संख्याः 2(7)64
द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि भराड़ी वार्ड में सम्बन्धित वार्ड पार्षद के घर सामने जाली लगवाने के लिए वन विभाग को 3 लाख रू0 दिए गए है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	भराड़ी वार्ड में सम्बन्धित वार्ड पार्षद के घर सामने जाली लगवाने के लिए वन विभाग को 3.00 लाख रू0 नहीं दिए गए हैं। वन मण्ड़ल अधिकारी शिमला शहरी के पत्र संख्या 243 दिनांक 22.05.2019 से आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होनें लिखा था कि माननीय पार्षद श्रीमती तनुजा चौधरी द्वारा पत्र दिनांक 26.04.2019 स request की गई हैं। कि पवन ठाकुर के घर से लवली हाउस कलस्टन, भराड़ी में interlink chain से fencing की जाये क्योंकि वहॉ पर जंगली जनवरों के घुसने का खतरा रहता हैं। इस कार्य को करने के लिए वन विभाग द्वारा राशि रू0 1.80 लाख का प्राकलन इस पत्र के साथ नगर निगम शिमला को प्रेषित किया था। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त इन पैसों को जमा करवाने की स्वीकृति संयुक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 23.10.2019 को दी गई थी, और नगर निगम शिमला द्वारा यह राशि चैक नं0 969230 दिनांक 27.11.19 द्वारा वन मण्ड़ल अधिकारी को पत्र संख्या MCS/XEN/ RB/19-3518 दिनांक 29.11.2019 से प्रेषित की गई हैं तथा यह कार्य वन विभाग द्वारा पूर्ण किया गया हैं।

श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए जाली लगवाने व पार्किंग बनाने पर जनता का पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार के कार्यों पर जो फिजूल खर्ची हो रही है उसकी विजिलैंस जांच करवाई जानी चाहिए। मा0 महापौर सभापति ने अधिशाष अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले को check कर लिया जाए।

प्रश्न संख्याः 2(8)65
द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि पुलिस लाईन भराड़ी के समीप वर्ष 2008 व वर्ष 2020 में निःशुल्क पार्किंग बनाई गई थी क्या इसके लिए कोई पुनः टैण्डर किया गया है यह कितनी राशि का है और उसका क्या लाभ है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	पुलिस लाईन भराड़ी के सामने वर्ष 2008 व वर्ष 2020 मे निःशुल्क पार्किंग नहीं बनाई गई है। नगर निगम शिमला द्वारा मा0 मनोनीत पार्षद श्री संजीव सूद के कहने पर Robot Machine से सड़क के किनारे मिट्टी को Level किया गया था। यहां यह अवगत करवाया जाता है कि मा0 पार्षद श्रीमती तनुजा चौधरी ने दिनांक 20.06.2019 को इस विभाग में लिख कर दिया था कि पुलिस लाईन भराड़ी के सामने रोड़ साईड़ पार्किंग का निर्माण किया जाए। मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इस जगह पर पार्किंग का निर्माण करने के लिए राशि रू0 4,71,600/- का प्राकलन बनाया गया जिसमें Retaining wall व Channel Railing लगाने का प्रावधान किया गया तकि इस जगह पर Ground बनाकर इस पार्किंग की auction कर सही ढंग से गाड़ियां खड़ी की जा सकें और नगर निगम शिमला को इससे आय प्राप्त हो सके। प्राकलन की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.12.2020 को प्रदान की गई। इस कार्य को करने के लिए दिनांक 23.02.2021 को निविदाऐं आमन्त्रित की गई है। सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त मौके पर कार्य करवाया जाएगा ताकि वहां की स्थानीय जनता को गाड़ियां खड़ी करने की सुविधा मिल सकें।

प्रश्न संख्या 2(7)64 के साथ ही इस मामले बारे भी संयुक्त रूप से चर्चा की गई।

प्वाईंट ऑफ ऑर्डर

5(1) श्री आनंद कौशल, मा0 पार्षर ने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बन्द रहे होटलों के पानी व कूड़े के बिल क्यों मुआफ नहीं हो रहे हैं। पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की बढौतरी प्रतिवर्ष न करने बारे भी मामला सरकार को भेजा जाए। आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी कूड़ा लोगों के घरों से उठाया गया हैं। घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए 350 सैहब कर्मचारी कार्यरत हैं कोविड़-19 के दौरान इन कर्मचारियों को लगातार वेतन दिया गया। कूड़े के बिलों से ही इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा भरयाल प्लान्ट पहुंचाया जाता है जिसका खर्चा भी कूड़े के बिलों से ही होता है। सम्पति कर में कोविड़-19 के दौरान नियमानुसार छूट दी गई है। इसलिए गारवेज के बिलों में कोई छूट नहीं दी गई है।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।